निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-11 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल** के माह 12/2016 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.04.2018 से 26.04.2018 तक श्री हिमांशु मणि ले0 प0 अ0 के पर्यवेक्षण मे संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री श्री संतोष कुमार गुता एवं श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.12.2016 से 04.01.2017 तक श्री शशिकांत पाण्डेय लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 07/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तराई पश्चिमी वन प्रभाग के क्षेत्र में वन संरक्षण क्रिया कलाप

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	1002.41
2016-17	923.74
2017-18	1584.94

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थापना (` लाख में)**		**गैर स्थापना (` लाख में)**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2015-16	--	--	828.60	828.60	367.98	367.98
2016-17	--	--	953.33	953.33	44.65	445.65
2017-18	--	--	1080.57	1080.57	209.52	209.52

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**व्यय**

इकाई को बजट आवंटन (शासन द्वारा) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

अपर मुख्य सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....------ ....

(प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-11 वर्ष 2018-19

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

(अति गम्भीर अनियमितताएं)

प्रस्तर-1

भाग-II 'ब'

(गम्भीर अनियमितताएं)

प्रस्तर-1

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II-अ

प्रस्तर-1

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1

<u>भाग-02 (ब)</u>

प्रस्तर-1वन्य जीवों द्वारा जान-माल की क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 106.25 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2012 वन्य जीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी।नियमावली की मूल भावना यह थी कि वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जान माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का वन विभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

कार्यालय प्रभागीय वनधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल की लेखापरीक्षा के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि के वर्ष 2017-18 के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि प्रभाग के अंतर्गत मानव घायल के 03 प्रकरण,पशु क्षति के 345 प्रकरण,फसल क्षति के 414 प्रकरण और मकान क्षति के 2 प्रकरण मैं ₹106.25 लाख का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जो कि प्रभाग द्वारा नहीं किया गया। जबकि प्रभाग के पास मार्च 2018 के अन्त में बैंक पासबुक के अनुसार ₹ 72,06,895 अवशेष था। जिससे भुगतान की कार्यवाही की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि भुगतान की प्रक्रिया गतिमान है।अतः भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र करके लेखपरीक्षा को सूचित किया जाना अपेक्षित रहेगा ताकि नियमवाली का मूल उद्देश्य पूरा हो सके।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-11 वर्ष 2018-19

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ₹91.97लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।
उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक/245:xxvii(7)/2012,दिनांक 22.11.2012 :के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी को ₹ 5.00लाख की सीमा तक अधिकार प्रदत्त किया गया है तथा इसके ऊपर ₹ 10.00लाख की सीमा तक वन संरक्षक निदेशक को अधिकार प्रदत्त है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल के वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नही की गयी थी। प्रभाग द्वारा ₹91,97,273 की लागत के 12 वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा तिथि तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यों की स्वीकृति के लिए कार्योत्तर स्वीकृतियाँ सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की गयी है।

अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹ 91,97,273 की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनराशि (₹)
1.	बन्नाखेड़ा रेंज के अंतर्गत बेलपोखरा 11 अ में 40.60 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य	1199700
2.	बैलपड़ाव रेंज के अंतर्गत गौबुआ प्लाट संख्या 22 में 21.04 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य	625800
3.	रामनगर रेंज के अंतर्गत ज्वालावन 9 अ 38 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य	1128400
4.	बन्नाखेड़ा रेंज के अंतर्गत करारी में 27 में 29 हेक्टेयर में अग्रिम मृदा कार्य	1045900
5.	बन्नाखेड़ा रेंज के अंतर्गत बैलपोखरा बरहनी 64 में 33 हेक्टेयर में अग्रिम मृदा कार्य	883800
6.	बन्नाखेड़ा रेंज के अंतर्गत करारी 14 में 22.50 हेक्टेयर में अग्रिम मृदा कार्य	603000
7.	बन्नाखेड़ा रेंज के अंतर्गत घमीला 7 में 27 हेक्टेयर में अग्रिम मृदा कार्य	724600
8.	बन्नाखेड़ा रेंज के अंतर्गत करारी 26 में 30 हेक्टेयर में अग्रिम मृदा कार्य	803700
9.	बन्नाखेड़ा रेंज के अंतर्गत करारी 30 में 20 हेक्टेयर में अग्रिम मृदा कार्य	536800
10.	बन्नाखेड़ा रेंज के अंतर्गत बैलपोखरा 12 अ में 15.50 हेक्टेयर में अग्रिम मृदा कार्य	416700
11.	बन्नाखेड़ा रेंज के बन्नाखेड़ा पौधालय में पौध उगान	601473
12.	बन्नाखेड़ा रेंज के अंतर्गत बैलपड़ाव 31अ में 15.90 हेक्टेयर में अग्रिम मृदा कार्य	627400
	योग	**9197273**

भाग दो ब

प्रस्तर - 3 अनियमित व्यय ₹ 26.94 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 ग्लोबल मैन पॉवर नैनीताल द्वारा अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी है तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 04/2017 से 03/2018 तक ₹ 2693636 का भुगतान किया गया है। मै0ग्लोबल मैन पॉवर नैनीताल से अनुबंन्ध बिना निविदा के आमंत्रण पर कर लिया गया है। जबकि अनुबन्ध किये जाने के पूर्व कान्ट्रैक्ट करने के पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके।

उक्त को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। अतःविभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया था अतः ₹ 26.94 लाख़ का अनियमित व्यय किया गया था।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 4: लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹3.00 लाख।

विभाग मेंप्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-2016 व 2016-17के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के <u>प्रथम वर्ष</u> लेंटाना उन्मूलन हेतु क्रमश 100 हेक्टेयर एवं 80 हेक्टेयर, का चयन किया गया जिन पर क्रमश ₹ 250000 व ₹400000 का व्यय किया गया है। इसमे वर्ष 2015-16 के क्षेत्र के लिए द्वितीय वर्ष 2016-17 हेतु कोई व्य्य नहीं किया गया तथा वर्ष 2016-17 के क्षेत्र हेतु द्वितिए वर्ष सिर्फ 70 हेक्टेयर पर ही व्य्य किया गया था।अतः वर्ष 2015-16 में किए गए व्य्य हेतु द्वितीय वर्ष कोई व्यय नहीं किया गया तथा वर्ष 2016-17 के प्रथम वर्ष के क्षेत्र हेतु 2017-18 में 10 हेक्टेयर पर कोई व्य्य नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है की प्रथम वर्ष उपचार पर किये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभावित करेगा। अतः**,** प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के फलस्वरूप ₹ 300000 का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने अवगत कराया कि बजट प्रथम वर्ष के सापेक्ष ही बजट प्राप्त हुआ था तद्नुसार ही कार्यावाही की गयी, उसके उपरान्त उक्त मद में कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ।

अतः,₹ 3.00 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारीयों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-11 वर्ष 2018-19

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
41/2013-14	-	1
64/2015-16	-	2
22/2016-17	-	1

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
22/2016-17	01	01,02,03

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

व्यय से सम्बन्धित -

1. प्रभाग की राजस्व जमा संम्बन्धी पंजिका, E-14
2. कैम्पा वर्त 2018 की मुख्यालय की रोगड़ बही
3. अधिकारियों/कार्यालोयों की सेवा-पुस्तिकायें
4. वाहनो की लॉग बुक
5. निष्प्रयोज्य सामाग्री संबंधित अभिलेख।
6. जमानत जमा पंजिका
7. पत्रांक 2684/5-2 दिनांक 26/04/2018 में उल्लेखित खराब टैक्टर ट्राली से संबंधित अभिलेख।

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	सुश्री कहकशॉ नसीम	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी